

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 18-8-17

संख्या-21 / त.क.आ.-01 / 2015, सा.प्र. 10589 बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना के गठन संबंधी अधिनियम की धारा-4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा. प्रभात कुमार सिन्हा, चिकित्सा अधीक्षक एवं डीन (शोध), इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को इनके पदभार ग्रहण की तिथि के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना के "सदस्य" के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अधिकारी दस्तावेय दस्तावेय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21 / त.क.आ.-01 / 2015, सा.प्र. 10589 पटना-15, दिनांक 18-8-17

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

ज्ञापांक:-21 / त.क.आ.-01 / 2015, सा.प्र. 10589 पटना-15, दिनांक 18-8-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:-21 / त.क.आ.-01 / 2015, सा.प्र. 10589 पटना-15, दिनांक 18-8-17

प्रतिलिपि:- सभी विभाग / सभी विधागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय / सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय / सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना / संयुक्त सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:-21 / त.क.आ.-01 / 2015, सा.प्र. 10589 पटना-15, दिनांक 18-8-17

प्रतिलिपि:- डा. प्रभात कुमार सिन्हा, चिकित्सा अधीक्षक एवं डीन (शोध), इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना / आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।
18 Aug 17